मुख्यालय पुलिस महानिदेशकउ0प्र0 लखनऊ

बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्याः डीजी–14–ज0सू0अ0–इला0परि0–87/10 दिनांकः लखनऊ, दिसम्बर 20

सेवा में, जन सूचना अधिकार

श्री विकास कुमार,

बैगंलोर– .

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत मांगी गयी सूचना/अभिलेखो को उपलब्ध कराये विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 19.10.10 के क्रम में अपने दिनांक 4.11.10 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपने नियमानुसार अतिरि शुल्क रू0 10/– का पोस्टल आर्डर संख्या 90ई 822234 भेजते हुए वॉछित सूचनाएं प्रेषित किये जाने अपेक्षा की है।

2. उक्त संबंध में आपकी अपेक्षानुसार वॉछित सूचनाएं संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

(किरन यादव)
जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय पुलिस महानिदेश
उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रतिलिपिः आंकिक को उक्त पोस्टल आर्डर को मूल रूप में सलग्न कर इस आषय से प्रेषित कि कृ उसे राजकीय कोष में जमा किये जाने सबंधी अग्रेत्तर आवष्यक कार्यवाही करें।

संलग्नकः उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप में।

2/15.10.10 ALD-87/10

(3)

आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

पत्रांकः डीजी-सात-एचसी-32(5)/2010

दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 14, 2010

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

कृपया अपने पत्र संख्याः डीजी-14-ज0सू0अ0-इला0जोन-87/10 दिनांक 14.9.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत श्री विकास कुमार निवासी [illegible] बंगलौर द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है।

2. उपर्युक्त विषय में बिन्दुवार सूचना निम्नवत है:-

बिन्दु-1 - किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किये जाने के संबंध में डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 7/97 दिनांक 29.3.97, डीजी परिपत्र संख्याः 14/97 दिनॉक 23.09.97 तथा परिपत्र संख्याःडीजी-1/2002 दिनांक 23.01.02 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। साथ ही उपरोक्त निर्देशों को प्रत्येक थाने के सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

Sec 14

वर्ष 1988 के परिपत्र संख्या डीजी-40-88 दिनांक 9.10.1988 द्वारा सभी जनपदों में महिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है एवं प्रदेश स्तर पर अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन महिला सहायता प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गयी है।

अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन कार्यरत महिला सहायता प्रकोष्ठ मुख्यालय, लखनऊ पर एक परिवार परामर्श केन्द्र, जो स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित है, व्यवहारिक योग्यता रखने वाले परामर्शदाताओं द्वारा विवाह सम्बन्धी विवादों का निस्तारण कराया जाता है। साथ ही जनपदों में स्थापित महिला प्रकोष्ठों द्वारा भी ऐसे प्रकरणों का आपसी समझौते, मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। शासनादेश संख्या-2738/छः-पु0-15/2001-17म0उ0/99, दिनांकित 21.11.2001 द्वारा प्रदेश के जनपदों में महिला हेल्प लाइन का भी गठन किया गया है, जहाँ ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार परामर्श एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त Protection of women from Domestic Violence Act 2005 में भी सेवा प्रदत्त एवं प्रोटेक्शन अधिकारी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों को सुलझाने की व्यवस्था है। उ0प्र0 में भी उक्त अधिनियम की धारा-8(1) के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या-250 भा0सा0/60-3-60-3 (22)/05, दिनांक 2.11.2006 द्वारा महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को प्रश्नगत अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु स्थायी व्यवस्था होने तक संरक्षण अधिकारी नामित किया गया है।

15-10-10

बिन्दु-2. उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा परिपत्र संख्याः 4/2010 दिनाक 22.1.10, एवं अ0शा0 डीजी-सात-एस-3(218)/2010 दिनांक 16.7.2010 एवं परिपत्र संख्याः 36/2010 दिनांक 13.10.10 निर्गत किये गये हैं, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

संलग्नकः यथोपरि ।

14/10/10

(के0के0 अस्थाना)
अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध),
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 ।

D:\S-7 S-8 S- 9\letter misc.doc

अ0शा0 परिपत्र संख्या-36/2010

करमवीर सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–बी.एन. लहरी मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊः अक्टूबर 13,2010

प्रिय महोदय,

भारतीय समाज में दहेज अपराध की सामाजिक कुरीति एवं विवाहित महिलाओं के प्रति उसके पति एवं सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता का व्यवहार, के लिए वर्ष–1983 में भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा '498ए' सम्मिलित की गई, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए 3 वर्ष तक के दण्ड एवं अर्थदण्ड का प्राविधान रखा गया है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है। इस प्राविधान का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पति एवं सम्बन्धियों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से संरक्षण दिलाना है, जिसका भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में स्वागत किया गया। शासन को इस प्राविधान के दुरूपयोग के सम्बन्ध में जानकारियॉ प्राप्त हुई। प्रायः देखा गया है कि इस प्राविधान का प्रयोग क्षणिक आवेश में अपने निहित स्वार्थ या पारस्परिक मतभेदों को निपटाने के लिए किया जा रहा है और परिवार के दूरवर्ती एवं निकटस्थ सदस्यों, भले ही वह अवस्यक स्कूल जाने वाले भाई–बहनों, पौत्र–पौत्रियों, अविवाहित/विवाहित ननदों आदि के विरूद्ध प्रयोग में लाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के उपरोक्त सदस्यों की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के कारण भविष्य में समझौते की सम्भावना समाप्त हो जाती है और प्रायः वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालयों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के द्वारा धारा 498ए भादवि के प्राविधानों का दुरूपयोग रोकने के लिए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जिनका पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– धारा 498ए भादवि के मतभेद के मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयोग आवश्यक होने पर ही किया जाय, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य सीआरएल सीडब्लूपी नं0–539/86 में दिनॉकः 18.02.96 को निर्णीत किया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता, परामर्श एवं समझौते की सम्भावनाओं के समाप्त हो जाने पर ही किया जाय।

2– ऐसे मामलों में धारा 498ए भादवि का आरोप योजित करने से पूर्व वैवाहिक विवादों को पक्षकारों के मध्य परामर्श एवं सलाह की प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाय। इस प्रक्रिया के असफल होने पर ही धारा 498ए भादवि या अन्य विधियों में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। परामर्श, समझौते आदि की प्रक्रिया महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ में व्यावसायिक प्रशिक्षित सलाहकारों द्वारा प्राप्त कराई जाय।

भवदीय

(करमवीर सिंह) 13/10/10

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नॉकित को-कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आईडी0, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।